भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3464

उत्तर देने की तारीखः 15.07.2019

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नर्सिंग/दंत चिकित्सा स्नातकों का पार्श्विक प्रवेश

3464. डा. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नर्सिंग और दंत-चिकित्सा स्नातकों के पार्श्विक प्रवेश को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या प्रारूप-एनईपी में सभी एमबीबीएस स्नातकों के लिए संयुक्त एक्जिट परीक्षा लाने के प्रस्ताव की सिफारिश की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ख): डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारूप एनईपी 2019 के अध्याय 16 के पैराग्राफ पी 16.8.2 में प्रस्ताव किया गया है कि 'एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का पहला वर्ष या दूसरा वर्ष सभी विज्ञान स्नातकों के लिए सामान्य अवधि के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके बाद वे एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग या अन्य कोई विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। सामान्य आधार पाठ्यक्रम जो बहुलतावादी चिकित्सा पद्धति पर आधारित होगा, उसे पढ़ने के बाद विशिष्ट पद्धति पर आधारित मूल पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, ताकि विविध चिकित्सा प्रणालियों के बीच तालमेल बनाना आसान हो सके। अन्य चिकित्सा संकायों जैसे दंत चिकित्सा, नर्सिंग आदि के स्नातकों को भी एमबीबीएस में पार्श्विक प्रवेश की अनुमति रहेगी।

इसे प्राप्त करने के लिए एनएमसी के साथ मिलकर एक चिकित्सा शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा।

प्रारूप एनईपी 2019 के पैरा 16.8.3 में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए जिस तरह से एनईईटी को एक समान एकीकृत प्रवेश परीक्षा के रूप में लागू किया गया है, उसी तरह से एमबीबीएस के लिए एकीकृत निर्गम परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा (जिसकी अनुशंसा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में भी की गई है) जो दो भूमिकाएं निभाएगी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का भी काम करेगी। यह निर्गम परीक्षा एमबीबीएस के चौथे साल के अंत में होगी, जिससे विद्यार्थियों को अपने रेजीडेंसी पीरियड के अंत में एक पृथक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करने के तनाव और श्रम से राहत मिलेगी। प्रवेश परीक्षा न होने पर, वे अपने रेजीडेंसी पीरियड का उपयोग महत्वपूर्ण कौशल और क्षमताओं को हासिल करने में कर सकेंगे। इसी तरह की सामान्य निर्गम परीक्षा दंत चिकित्सा और आवश्यक्तानुसार अन्य विषयों के लिए भी आयोजित की जा सकती है।

इस स्तर पर, प्रारूप एनईपी 2019 को जनता, भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट और innovate.mygov.in पर अपलोड किया गया है। सरकार सभी हितधारकों के इनपुट्स/सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।

*****